अनुदान संख्या 98 – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*1,00,00*	..	*-1,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8405,99,00	9557,10,00	5700,23,74	-3856,86,26
पूरक	Supplementary	1151,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3823,38,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*4,00,00*	..	*-4,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,99,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	799,29,00	801,66,00	354,63,10	-447,02,90
पूरक	Supplementary	2,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				451,84,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹100.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा और अंततः उसे अभ्यर्पित किया गया था।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹100.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹385686.26 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹115111.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹385686.26 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹115111.00 lakhs obtained in July 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7300.00	7700.73	7633.73	-67.00
पु.	R.	400.73			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14725.00	392.00	..	-392.00
पू.	S.	802.00			
पु.	R.	-15135.00			
मुख्य शीर्ष "2701"	Major Head "2701"				
मध्यम सिंचाई	Medium Irrigation				
मू.	O.	195770.00	142335.32	139639.78	-2695.54
पू.	S.	23543.00			
पु.	R.	-76977.68			
मुख्य शीर्ष "2702"	Major Head "2702"				
लघु सिंचाई	Minor Irrigation				
मू.	O.	31742.00	28759.50	28756.46	-3.04
पु.	R.	-2982.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2711"	Major Head "2711"				
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control and Drainage				
मू.	O.	26617.00			
पू.	S.	1.00	26561.00	26613.41	+52.41
पु.	R.	-57.00			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	225000.00	70000.00	70000.00	..
पु.	R.	-155000.00			
मुख्य शीर्ष "3075"	Major Head "3075"				
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services				
मू.	O.	12113.00	6836.95	6621.69	-215.26
पु.	R.	-5276.05			
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	254700.00			
पू.	S.	22456.00	142343.55	142321.33	-22.22
पु.	R.	-134812.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	70482.00			
पू.	S.	68309.00	148432.45	148427.45	-5.00
पु.	R.	9641.45			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2150.00			
			10.00	9.89	-0.11
पु.	R.	-2140.00			

(I) ₹22930.00 लाख का प्रावधान (₹802.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹22677.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552"–

(क) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय"–

(i) "बाढ़ पूर्वानुमान" – ₹560.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा टेलीमेट्री स्टेशन के अधिष्टापन के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹22930.00 lakhs (including supplementary grant of ₹802.00 lakhs) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹22677.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Flood Control - Other Expenditure" -

(i) "Flood Forecasting"- ₹560.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-finalisation of proposal for installation of telemetry station.

(ii) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10215.00 लाख;

(ख) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अन्य व्यय"–

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹400.00 लाख;

(ii) "त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹2001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अनुसंधान" – "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना"– ₹1900.00 लाख (₹800.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – रिवर फ्रंटों के सौन्दर्यीकरण के लिए घाट निर्माण कार्य" – ₹5000.00 लाख – राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹200.00 लाख – राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) "River Basin Management"- ₹10215.00 lakhs;

(b) "General (Medium Irrigation) - Other Expenditure"-

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹400.00 lakhs;

(ii) "Accelerated Irrigation Benefit and Flood Management Programme" - ₹2001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(iii) "Human Resource Development/ Capacity Building" - ₹401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) "General (Medium Irrigation) - Research - National Hydrology Project" - ₹1900.00 lakhs (including supplementary grant of ₹800.00 lakhs).

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers-Ghat Works for beautification of River Fronts" - ₹5000.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with National Mission for Clean Ganga.

(C) Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National River Conservation Plan" - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम” – ₹2000.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2701” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा :–

(का) “अनुसंधान – राष्ट्रीय जल–विज्ञान परियोजना” – ₹18558.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8542.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27100.00 लाख किया गया था। तथापि, ₹9346.19 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने, कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, कम व्यावसायिक सेवाओं को भाड़े पर लिए जाने तथा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी–III) को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)” – ₹100000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹115000.00 लाख किया गया था। तथापि, ₹53977.87 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड ऋण के भुगतान के लिए कम ब्याज की अदायगी के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2701”– “सामान्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “निदेशन और प्रशासन – केंद्रीय जल आयोग” – ₹952.08 लाख की बचत (₹5264.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Border Area Development Programme”- ₹2000.00 lakhs- due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2701” - “General” - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(A) “Research - National Hydrology Project” - the original provision of ₹18558.00 lakhs was augmented to ₹27100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8542.00 lakhs. However, there was a saving of ₹9346.19 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds by State Governments/Implementing agencies, non-approval of proposal for procurement of office equipments, hiring of less professional services and non-finalization of National Hydrology Project (NHP-III).

(B) “Other Expenditure - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Har Khet Ko Pani)” - the original provision of ₹100000.00 lakhs was augmented to ₹115000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹53977.87 lakhs (including supplementary grant) - due to less interest re-payment towards debt serving of NABARD loan under PMKSY.

(III) Under Major Head “2701”- “General”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Central Water Commission” - saving of ₹952.08 lakhs (against the sanctioned provision ₹5264.75 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts and requirement of less funds by the implementing agencies.

(खा) "डाटा संग्रहण – केंद्रीय जल आयोग" – ₹2929.43 लाख की बचत (₹15492.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, परिकल्पित कार्यकलापों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, तथा चिकित्सा दावों और मरम्मत तथा रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Data Collection - Central Water Commission" - saving of ₹2929.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15492.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-approval of envisaged activities and requirement of less funds towards medical claims and repair and maintenance.

(गा) "प्रशिक्षण – केंद्रीय जल आयोग" – ₹127.30 लाख की बचत (₹404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(C) "Training - Central Water Commission" - saving of ₹127.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹404.00 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts and less tours undertaken.

(घा) "अनुसंधान" –

(क) "केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन" – ₹219.03 लाख की बचत (₹7360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता और बाह्य स्रोतों से कम कार्य कराए जाने के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय जल आयोग" – ₹216.62 लाख की बचत (₹494.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(D) "Research" -

(a) "Central Water and Power Research Station" - saving ₹219.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7360.00 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts, requirement of less funds towards maintenance and less award of outsourced work.

(b) "Central Water Commission"- saving of ₹216.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹494.25 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts.

(ङ) "सर्वेक्षण और अन्वेषण – केंद्रीय जल आयोग" – ₹883.42 लाख की बचत (₹1996.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(E) "Survey and Investigation - Central Water Commission" - saving of ₹883.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1996.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards office maintenance.

(चा) "परामर्श सेवा – केंद्रीय जल आयोग" – ₹1673.89 लाख की बचत (₹5053.25 लाख की बचत स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने तथा कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(F) "Consultancy - Central Water Commission" - saving of ₹1673.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5053.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and requirement of less funds towards office maintenance.

(छा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – अपर यमुना नदी बोर्ड" – ₹1423.45 लाख की बचत (₹2100.95 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों को कम अंतर लेखा अंतरण और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(जा) "अन्य व्यय" –

(क) "अन्य स्कीमें" – ₹131.61 लाख की बचत (₹414.05 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने तथा कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "केंद्रीय जल आयोग" – ₹141.00 लाख की बचत (₹298.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा चिकित्सा दावों और कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "जल आयोजना स्कन्ध" – ₹282.53 लाख की बचत (₹586.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(घ) "चिनाब बेसिन में जल–वैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹103.62 लाख की बचत (₹527.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) "जल संसाधन सूचना विकास प्रणाली का विकास" – ₹5774.97 लाख की बचत (₹11250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(G) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" - saving of ₹1423.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.95 lakhs) was due to less inter account transfer to various States and non-materialization of envisaged activities.

(H) "Other Expenditure" -

(a) "Other Schemes" - saving of ₹131.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹414.05 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tour undertaken and requirement of less funds towards office maintenance.

(b) "Central Water Commission" - saving of ₹141.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹298.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards medical claims and office maintenance.

(c) "Water Planning Wing" - saving of ₹282.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹586.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(d) "Hydrological observations in Chenab Basin" - saving of ₹103.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹527.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of envisaged activities.

(e) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹5774.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11250.00 lakhs) was due to non-materialization of envisaged activities, less tours undertaken and requirement of less funds towards medical reimbursement and professional services.

(च) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम" – ₹262.36 लाख की बचत (₹5290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन एवं विश्लेषण सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा कम संख्या में व्यावसायिकों को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुई।

(छ) "राष्ट्रीय जल मिशन" – ₹1235.80 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता तथा अनुमोदन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में संविदा न दिए जाने के कारण हुई।

(ज) "नदी बेसिन प्रबन्धन" – ₹1296.93 लाख की बचत (₹9692.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता तथा मरम्मत और रखरखाव के कम कार्यों के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2702 – भूजल – अन्वेषण" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय भू जल बोर्ड" – ₹2625.89 लाख की बचत (₹23990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, लेखन–सामग्री, कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) "भू जल प्रबंधन तथा विनियमन" – ₹351.84 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा कम प्रकाशन के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2711 – बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(f) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹262.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5290.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals towards procurement of Design and Analysis software, less tours undertaken and hiring of less number of professionals.

(g) "National Water Mission"- saving of ₹1235.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies and non-award of contract pending finalization of approval process.

(h) "River Basin Management"- saving of ₹1296.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9692.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies and less repair and maintenance works.

(IV) Under Major Head "2702" - "Ground Water-Investigation"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Ground Water Board" - saving of ₹2625.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23990.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, stationery, office maintenance and less tours undertaken.

(B) "Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹351.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialization of envisaged activities, less tours undertaken and less publications.

(V) Under Major head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय जल आयोग" – ₹3670.16 लाख की बचत (₹13193.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा, मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(A) "Central Water Commission" - saving of ₹3670.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13193.50 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts and requirement of less funds towards repair and maintenance works.

(खा) "ब्रह्मपुत्र तथा बराक बेसिन में एफएफ और जल–वैज्ञानिक सर्वेक्षण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" – ₹219.68 लाख की बचत (₹645.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(B) "Strengthening & Modernization of F.F. and Hydrological Observation Network in Brahmaputra and Barak Basin"- saving of ₹219.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹645.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(गा) "बाढ़ पूर्वानुमान" – ₹1039.92 लाख की बचत (₹4465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा लेखन सामग्री तथा कार्यालय रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(C) "Flood Forecasting" - saving of ₹1039.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4465.00 lakhs) was due to non-materialization of envisaged activities, less tours undertaken and requirement of less funds towards stationery and office maintenance.

(घा) "नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य" – ₹5402.33 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8112.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) "River Management Activities and Works related to Border Areas" - saving of ₹5402.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8112.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of envisaged activities.

(VI) मुख्य शीर्ष "2810" – "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण" के अंतर्गत ₹155000.00 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2810" - "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Clean Energy Fund" - saving of ₹155000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs) was due to less transfer to National Clean Energy Fund.

(VII) मुख्य शीर्ष "3075 – नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं :–

(VII) Under Major Head "3075" - "River Training Works - Farakka Project" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जांगीपुर बैराज" – ₹145.66 लाख की बचत (₹322.89 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Jangipur Barrage"- saving of ₹145.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹322.89 lakhs); and

(खा) "फीडर नहर" – ₹514.53 लाख की बचत (₹1123.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Feeder Canal" - saving of ₹514.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1123.90 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने तथा परकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and non-materialization of envisaged activities.

(गा) "फरक्का बैराज" – ₹4831.12 लाख की बचत (₹10666.21 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम परामर्शदाता तथा संविदागत सेवाओं को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुई।

(C) "Farakka Barrage" - saving of ₹4831.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10666.21 lakhs) was due to receipt of less medical claims and hiring of less consultants and contractual services.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय गंगा योजना" के अंतर्गत ₹155000.00 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3435"- "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Ganga Plan" - saving of ₹155000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with National Mission for Clean Ganga.

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹138.32 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 86 प्रतिशत थीं।

(IX) Under two heads savings of ₹138.32 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 15 percent and 86 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹36482.87 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹55464.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3.(I) The above savings were partly (₹36482.87 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹55464.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹440.00 लाख।

(ख) "अनुसंधान – अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम" – ₹1013.87 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹961.62 लाख था।

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Direction and Administration - Human Resource Development/Capacity Building" - ₹440.00 lakhs.

(b) "Research - Research and Development Programmes" - ₹1013.87 lakhs. Actual excess, however, was ₹961.62 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" के अंतर्गत – ₹25187.55 लाख।

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Plan" -

वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹25165.33 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹2001.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2000.00 लाख था।

(ख) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹7840.45 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7836.45 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जल संसाधन मंत्रालय" – ₹191.66 लाख का अधिक व्यय (₹6032.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रम शक्ति भवन में नवीकरण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा अधिक विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य – अन्य व्यय – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" –₹275.36 लाख का अधिक व्यय (₹1190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आविष्कार एग्जीबिशन एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित "डेस्टीनेशन गोवा – 2018" में भागीदारी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय"–

(क) "भूटान सरकार को बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केंद्रों के रखरखाव के लिए भुगतान" – ₹112.50 लाख (₹201.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन तथा चिकित्सा खर्चों और कार्यालय रखरखाव के

₹25187.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹25165.33 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share"-

(a) "Border Area Development Programme" - ₹2001.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2000.00 lakhs.

(b) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - ₹7840.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹7836.45 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Water Resources" - excess of ₹191.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6032.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards renovation works in Shram Shakti Bhawan and more foreign tours undertaken.

(B) Major Head "2701" - "General - Other Expenditure - Human Resource Development/ Capacity Building" - excess of ₹275.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1190.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards participation in "Destination Goa - 2018" organized by Aavishkaarr Exhibition and Promotion Private Limited.

(C) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" -

(a) "Payment to Govt. of Bhutan for Maintenance of Flood Forecasting and Warning Centres" - excess of ₹112.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹201.50 lakhs) was due to implementation of 7th

लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

CPC and requirement of additional funds towards medical expenses and office maintenance.

(ख) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹10215.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "River Basin Management" - excess of ₹10215.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹128.92 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत और 106 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹128.92 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 24 percent and 106 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*300.00*	*1.00*	..	*-1.00*
पु.	*R.*	*-299.00*			

(I) *₹400.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से *₹300.00 लाख* अकेले – राज्यों को अन्य कर्ज – अन्य कर्ज – पूर्वी और पश्चिमी सेक्टरों में संभावित बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता" के अंतर्गत पंजाब राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) *Appropriation* of *₹ 400.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads; of these *₹300.00 lakhs* alone accounted for under "Other Loans to States - Other Loans - Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors" - due to non-receipt of proposals from the State Government of Punjab.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹44702.90 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹237.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹45184.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹44702.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹237.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and constituted 56 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹45184.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	330.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-329.00			
मुख्य शीर्ष "4701" मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4701" Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	25464.00	4748.00	4770.33	+22.33
पू.	S.	235.00			
पु.	R.	-20951.00			
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	46010.00	20862.00	21193.59	+331.59
पु.	R.	-25148.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"				
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	3400.00			
पू.	S.	1.00	2687.00	2873.04	+186.04
पु.	R.	-714.00			
मुख्य शीर्ष "5075"	Major Head "5075"				
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	4725.00			
पू.	S.	1.00	6684.00	6626.14	-57.86
पु.	R.	1958.00			

(I) ₹339.20 लाख का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹300.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "लघु सिंचाई – भूजल – अवसंरचना विकास संबंधी पूंजीगत परिव्यय" – ₹150.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण

(खा) "बाढ़ नियंत्रण परियोजना – अन्य व्यय – अवसंरचना विकास संबंधी पूंजीगत परिव्यय" – ₹150.00 लाख – केंद्रीय जल आयोग द्वारा गुवाहाटी में भवन निर्माण कार्य न लिया जाना।

(I) Provision of ₹339.20 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹300.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads:-

(A) "Capital Outlay on Minor Irrigation - Ground Water - Infrastructure Development" - ₹150.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Capital Outlay for Flood Control Project - Other Expenditure - Infrastructure Development" - ₹150.00 lakhs - due to non-taking up of construction of building at Guwahati by Central Water Commission.

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य – अनुसंधान – अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम" – के अंतर्गत ₹550.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹235.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹785.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹289.84 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों की अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4701" - "General - Research - Research and Development Programmes" - the original provision of ₹550.00 lakhs was augmented to ₹785.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹235.00 lakhs. However, there was a saving of ₹289.84 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of proposals for procurement of machinery and equipments and delay in approval process of envisaged activities.

(III) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "4701" - "General" - savings occurred under the following heads: -

(का) "अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹10305.43 लाख की बचत (₹10342.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाइड्रो–मैट उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए रूपरेखा करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Research - National Hydrology Project" - saving of ₹10305.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10342.00 lakhs) was due to non-finalization of frameworks agreement towards procurement of hydro-met equipments.

(खा) "अन्य व्यय"–

(क) "ऊपरी यमुना नदी बोर्ड" – ₹180.00 लाख की बचत (₹380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कार्यालयों में नवीकरण कार्यों की अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई।

(ख) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹2131.92 लाख की बचत (₹2848.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ग) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम" – ₹7627.24 लाख की बचत (₹10710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने तथा परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Upper Yamuna River Board" - saving of ₹180.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹380.00 lakhs) was due to delay in approval process for renovation works in the offices of Upper Yamuna River Board.

(b) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹2131.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2848.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement of motor vehicles, machinery and equipments.

(c) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹7627.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10710.00 lakhs) was due to delay in procurement process and non-materialization of envisaged activities.

(घ) "राष्ट्रीय जल मिशन" – ₹147.14 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(d) "National Water Mission" - saving of ₹147.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement of machinery and equipments.

(IV) मुख्य शीर्ष "4702" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(IV) Under Major Head "4702" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भू जल – अवसंरचना विकास" – ₹346.87 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित कार्यकलापों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई ।

(A) "Ground Water - Infrastructure Development" - saving of ₹346.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in finalization of envisaged activities.

(खा) "अन्य व्यय – भू जल प्रबंधन तथा विनियमन" – ₹24452.39 लाख की बचत (₹43950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹24452.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43950.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement of motor vehicles, machinery and equipments and non-materialization of envisaged activities.

(V) मुख्य शीर्ष "4711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – बाढ़ पूर्वानुमान" – के अंतर्गत ₹949.82 लाख की बचत (₹1445.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों तथा मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4711" - "Flood Control - Other Expenditure - Flood Forecasting" - saving of ₹949.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1445.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement of motor vehicles and machinery and equipments.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹236.44 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत से 90 प्रतिशत की सीमा तक थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹236.44 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 54 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2505.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

6. The above savings were partly (₹2505.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads: -

(I) मुख्य शीर्ष “4711” – “बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – अवसंरचना विकास” – ₹538.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹575.60 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष “5075” – “नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज” – ₹1967.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1909.34 लाख था।

(I) Major Head “4711” - “Flood Control - Other Expenditure - Infrastructure Development” -₹538.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹575.60 lakhs.

(II) Major Head “5075” - “River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage” - ₹1967.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1909.34 lakhs.